

24/02/2020

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकारान इप।
चुंकि पत्रावली के मूल वाद का
निस्तारण हो चुका है।

अतः अब इस प्रार्थना - पत्र का
कोई औचित्य नहीं रह जाने से खारिज
की जाती है।

पत्रावली के सल शुमार होकर
नम्बर से काम की जाकर दोस्त